

**उदाहरण स्वरूप मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप**  
**₹ 50.00 लाख से कम राशि के कार्यों के लिए (एकल बीड पद्धति)**

**कार्यालय का नाम**  
**कार्यपालक अभियंता / नगर आयुक्त / मुख्य नगर अभियंता / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत**

निविदा आमंत्रण सूचना (ई-टेंडरिंग द्वारा [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in))

संख्या E-Tender - /2016-17

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | विज्ञापन दाता का नाम एवं पता   | : कार्यपालक अभियंता / नगर आयुक्त / मुख्य नगर अभियंता / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत                                    |
| 2. | निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि  | : दिनांक-22.12.2015   |
| 3. | टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि  | : दिनांक 17.01.2016 से 23.01.2016 के 15:00 बजे तक<br>(on website <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> ) |
| 4. | प्री बीड मीटिंग का समय स्थान / तिथि  | : समय 11:00 बजे स्थान- कार्यालय कक्ष,<br>कार्यालय का नाम<br>दिनांक- 16.01.2016  |
| 5. | संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि / समय  | : दिनांक- 24.01.2016 के 15:00 बजे तक<br>(on website <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> )              |
| 6. | वित्तीय बीड खोलने की तिथि / समय  | : दिनांक- 01.02.2016 के 15:30 बजे के बाद<br>(on website <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> )          |
| 7. | अग्रधन, सभी शपथ-पत्र, Existing Commitment (मूल में), परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि / समय एवं स्थान | : दिनांक-27.01.2016 के 15:00 बजे तक   |

TO BE  
CHANGED  
ACCORDI-  
NGLY

- स्थान-1. मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना, का कार्यालय।
2. अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना का कार्यालय।
3. कार्यपालक अभियंता / नगर आयुक्त / मुख्य नगर अभियंता / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत

8. कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (₹० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (₹० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मोनसून अवधि माह में)
1	..... ..... TO BE FILLED IN SUITABLY					

**नोट:- 1. Bidders should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)**

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
10. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्वसंवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking. NEFT/RTGS.
- (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।
12. दो करोड़ से उपर की राशि के निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से किया जायेगा।
13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) अथवा [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) में देखा जा सकता है।
14. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Passoword) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्थ डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो0 संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
15. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर) रूपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
16. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
17. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
- (2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि:-
- (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।
- (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

## 18. परिमाण विपत्र

(1) उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो **कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत** के पदनाम से **संबंधित जिले** के बैंक में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा। जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा करने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

### (1) अग्रधन

- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।
- (ख) अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र अथवा डाकघर के सावधि 1/3/5 वर्षीय जमा पासबुक के रूप में हो तथा **कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत** के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में)।
- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए जिस में तिथि नाम के साथ एवं मोबाइल नम्बर अंकित हो।
- (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एंव अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
- (ग) पैन कार्ड की प्रति।
- (घ) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ङ) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
- (a) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिसे जिले का पता निबंधन में अंकित है।
- (b) पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- (c) जिसे संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।
- (d) जिस संवेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी।
- (3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में)।
- (4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/शपथ पत्र (मूल में) (अपलोड)  
"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....  
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—  
(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  
(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Resceind) नहीं किया गया है।  
(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।  
(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।  
(ङ) (i) संवेदक के पास बैच मिक्स प्लान्ट/मोबाइल बैच मिक्स प्लान्ट/मिनी मोबाइल बैच मिक्स प्लान्ट (ii) मिक्सर मशीन, (iii) नोजल भाईट्रेटर, (iv) सॉटरिंग प्लेट, (v) वाटर टैंकर (50 लाख से उपर राशि के लिए (i) से (v) तक के यंत्र-संयंत्र) एवं (50 लाख से नीचे की राशि के लिए (ii) से (v) तक के यंत्र-संयंत्र। भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (ii) से (v) के अतिरिक्त एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

उक्त यंत्र संयंत्र का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत के द्वारा तकनीकी बीड/वित्तीय बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड, संवेदक के निबन्धन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होंगे। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) तथा निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डाले।

(च) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में कार्य आवंटन के पश्चात् अग्रधन के रूप में एक प्रतिशत राशि ली जायेगी। अर्थात् एकरारनामा के समय एक प्रतिशत राशि ली जायेगी।

(छ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) पर अपलोड करना होगा।

#### (5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक, कम (Below) निविदित दर अमान्य होगी। असाधरण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3376(E) दिनांक-17.08.10 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

#### 21. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 18 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

#### 22. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी :-

23. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
24. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।
25. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। गुण नियंत्रण उपकरण का भौतिक सत्यापन **सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता/मुख्य नगर अभियंता** के द्वारा किया जाएगा। तथा इसका प्रतिवेदन तकनीकी बीड के साथ समर्पित करना होगा।
26. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्सम्बन्धी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
27. **अन्य शर्तें**
- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (ख) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैंशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी का भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper आवश्यक है।
- (ग) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (घ) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
28. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
29. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
30. कार्य आवंटित होने पर संवेदक को बैट सफाया प्रमाण-पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार **कार्यपालक अभियंता/नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत** से संपर्क कर सकते हैं।
31. In the unlikely event of the server for [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
32. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

33. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
34. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
35. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
36. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
37. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
38. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
39. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्यो हेतु-
  - (a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6 /नियम-03-03 / 2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
  - (b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
  - (c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री / डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

**कार्यपालक अभियंता /नगर  
आयुक्त /मुख्य नगर  
अभियंता /कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद /नगर पंचायत**

ज्ञापांक ..... / दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-** निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की सी0डी0 एवं 5 (पाँच) प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो-दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि प्रकाशन निविदा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिए [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

- अनु0:-**
1. निविदा आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
  2. सी0 डी0 एक प्रति में।

**कार्यपालक अभियंता /नगर  
आयुक्त /मुख्य नगर  
अभियंता /कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद /नगर पंचायत**

ज्ञापांक ..... / दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-** मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**कार्यपालक अभियंता /नगर  
आयुक्त /मुख्य नगर  
अभियंता /कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद /नगर पंचायत**